जनपद न्यायालय प्रतापगढ़।

नीलामी सूचना

जनपद न्यायालय प्रतापगढ में निष्प्रयोज्य फर्नीचर की नीलामी दिनांक–२६.११.२०२१ को अपरान्ह ४.३० बजे जनपद न्यायालय परिसर, प्रतापगढ़ में नीलामी समिति के समक्ष मीटिंग हाल में की जायेगी। इच्छुक लोग जो नीलामी में बोली बोलना चाहते हों वे निश्चित तिथि समय व स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध–

१. बोली प्रारम्भ करने की न्यूनतम धनराशि २६,०००/–रू० (छब्बीस हजार रूपये) होगी।

२. प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिए ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगायी गयी बोली के धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नही किया जायेगा।

३. जैसे–जैसे है, की शर्त पर निष्प्रयोज्य फर्नीचरों की नीलामी की जायेगी।

४. बोली पंजी (नीलामी रजिस्टर) फार्म पर बनाया जायेगा। बोली समस्त निष्प्रयोज्य फर्नीचर के लिए बोली जायेगी। कोई भी गारन्टी या वारन्टी नही होगी तथा कोई शिकायत स्वीकार नही होगी। बोली बोलने वाले केन्द्रीय नाजिर को सूचित करके नीलामी के सामानों का निरीक्षण किसी कार्य दिवस में अपरान्ह ३.०० बजे से ५.०० बजे के मध्य कर सकते हैं।

५. प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति को अपने आधार कार्ड की छाया प्रति, मोबाइल नम्बर तथा मु०–५०००/– जमानत धनराशि दिनांक–२५.११.२०२१ को अपरान्ह १२.०० बजे अथवा इससे पूर्व जमा करना होगा।

६. फर्नीचर की नीलामी बिना कारण बताये रोकी जा सकती है ।

७. बोली के अन्तिम होते ही बोली की धनराशि का २५ प्रतिशत तत्काल नगद जमा करा लिया जायेगा। इस हेतु चेक, बैंक ड्राफ्ट या हुन्डी स्वीकार नही होगें।

८. उपरोक्त २५ प्रतिशत धनराशि जमा न करने की दशा में बोली बोलने वाले व्यक्ति की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को निष्प्रयोज्य फर्नीचर बेचा जा सकेगा या पुनः नीलामी की जा सकेगी।

९. बोली के अनुमोदन के पश्चात शेष धनराशि को जनपद न्यायालय, प्रतापगढ़ के नजारत अनुभाग में तीन दिन के भीतर जमा किया जायेगा।

१०. यदि सफल बोली लगाने वाला निर्धारित समय के अन्तर्गत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा अग्रिम को जब्त कर लिया जायेगा।

११. पूर्ण भुगतान के बाद नीलाम किये गये निष्प्रयोज्य फर्नीचर बोली लगाने वाले को उपलब्ध करायी जायेगी तथा केन्द्रीय नाजिर की उपस्थिति में निष्प्रयोज्य फर्नीचर को परिसर से ले जा सकता है।

१२. भुगतान हो जाने के सात दिनों के अन्दर माल उठाना आवश्यक होगा।

१३. यदि बोली का अनुमोदन नही किया जाता है तो बोली लगाने वाले के द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी लौटा दी जायेगी तथा उसके पक्ष में किया गया नीलाम शून्य हो जायेगा।

१४. विधि के अधीन किसी कर की जो देयता होगी वह क्रेता की होगी।

१५. विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़ द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा पंचाट किया जायेगा जिसका निर्णय उभयपक्ष को मान्य होगा।

१६. बोली में भाग लेने की अनुमति दिये जाने के पूर्व बोली लगाने वालों से यह लिखित रूप से प्राप्त किया जायेगा कि वे इन नियमों में निर्धारित एवं निबन्धनों को यथावत स्वीकार करते है।

S.K. Tiwari
10-11-2021

(संतोष कुमार तिवारी)
सदस्य,निष्प्रयोज्य व नीलामी
समिति (फर्नीचर)/अपर जिला जज,
कक्ष संख्या–१,प्रतापगढ़।